भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं.**166**
दिनांक **03** फरवरी**, 2020**

प्राकृतिक गैस की मांग और आवंटन

166. डॉ॰ रमापति राम त्रिपाठीः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या व भन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को आपूर्ति की जा रही प्राकृतिक गैस देश में इसकी मांग के अनुसार नहीं है**;**

(ख) यदि हां**,** तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य- क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं**;**

(ग) क्या केंद्र सरकार को व भन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से वशेषकर उत्तरी राज्यों को प्राकृतिक गैस के अतिरिक्त आवंटन के लए पर्याप्त रूप से आवश्यकता को पूरा करने के लए अनुरोध प्राप्त हुआ है**;**

(घ) यदि हां**,** तो उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है**;** और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है**?**

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (ड.) : गैस आबंटन नीतियों के अनुसार सरकार द्वारा समय-समय पर कए गए आबंटन के अनुसार घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति उद्योगों/क्षेत्रों को की जा रही है। मौजूदा नीति के अनुसार एपीएम/गैर-एपीएम प्राकृतिक गैस के आबंटन के लए निम्न ल खत प्राथ मकताएं हैं :- (i) नगर गैस वतरण नेटवर्कों में सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू); (ii) गैस आधारित उर्वरक संयंत्र (यूरिया); (iii) तरलीकृत पेट्रो लयम गैस (एलपीजी) संयंत्र; (iv) ग्रड को आपूर्ति करने वाले वद्युत संयंत्र तथा अन्य। राज्यों द्वारा समय-समय पर गैस आबंटन के मामलों की सफारिश की जाती है और मौजूदा नीतियों के तहत उनकी जांच की जाती है। एलएनजी का आयात क्रेताओं और वक्रेताओं के बीच पारस्परिक करार के आधार पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत कया जाता है।

****